# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या : 80/2019
निर्णय दिनांक : 24/03/25

किशोर कुमार पुत्र इन्द्रचन्द जाति गुर्जर आयु 35 वर्ष निवासी नया बास, सुजानगढ़ जिला चूरू

.....प्रार्थी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र हनुमानाराम जाति गुर्जर आयु 60 वर्ष निवासी महादेव जी महे की गली, नया बास सुजानगढ़ जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू

.....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
1.श्री सुरेश शर्मा एड., श्री प्रदीप कठारतला एड़ प्रार्थी
2.श्री अमरसिंह राठौड़ एड. अप्रार्थी।

## निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जा व स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा संख्या 79 व 80 रोही ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ में स्थित है। प्रार्थी व उसके पूर्वज उक्त खेत में सदामत से खसरा संख्या 326/75 ग्राम ठरड़ा में से आवागमन करते रहे हैं, उक्त खेत की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है लेकिन प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु कटाणी रास्ता नहीं है और ना ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी वर्तमान में अपने खेतों में आने जाने के लिए खसरा संख्या 326/75 रोही ग्राम ठरड़ा की पश्चिमी सीमा से प्रवेश करते हैं। प्रार्थी के खेत व नेशनल हाइवे संख्या 58 के बीच में 132 फुट की हाइवे के मध्य से दूरी है अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त 132 फुट जमीन के बीच में सींव कायम कर रखी है जो गलत है। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 70 व 80 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 326/75 के अलावा ओर कोई रास्ता नहीं लगता है तथा ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन का रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 से पश्चिमी सींव की तरफ से 30 फुट चौड़ा रास्ते की मांग की लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 ने मना कर दिया।

प्रार्थी तथा अप्रार्थी के खेत रोही ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ में होने के कारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार है।

प्रार्थी को उसके खेत खसरा संख्या 79 व 80 रोही ग्राम ठरड़ा तहसील सुजानगढ़ में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा संख्या 326/75 में से 30 फुट चौड़ा रास्ता पश्चिमी सींव से सटकर दिलाया जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को अपने खेत खसरा संख्या 79 व 80 रोही ठरड़ा तहसील सुजानगढ में आवागमन हेतु खसरा संख्या 326/75 में से कभी रास्ता नहीं रहा है तथा ना ही वर्तमान में है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी भागीरथ द्वारा एन.एच. की भूमि पर अतिक्रमण होने का अंकन किया है लेकिन अप्रार्थी ने एन.एच. की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। प्रार्थी अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 326/75 से आवागमन नहीं कर कटाणी मार्ग सुजानगढ़ से लोढ़सर जाने वाली सडक से खेत खसरा संख्या 76 के उत्तरी तरफ से होकर सड़क से होतु हुए धूड़ाराम के खेत खसरा संख्या 325/75 की पूर्वी व बाबूलाल के खेत के पश्चिमी सींव के पास–पास होते हुए खेत खसरा संख्या 73 में प्रवेश कर खेत खसरा संख्या 79 व 80 में प्रवेश करता है इसलिए प्रार्थी को नये रास्ते की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी के आवागमन के लिए खसरा संख्या 73 जो कि प्रार्थी के नाना रामकुमार आदि की खातेदारी का रहा है। खेत खसरा संख्या 79 व 80 दोनों प्रार्थी के नाना रामकुमार ने अपनी पुत्री गंगा उर्फ गोदावरी को खेत खसरा संख्या 79 व 80 खरीद कर दिया था जो वर्तमान में रामकुमार का दोहिता प्रार्थी किशोर कुमार के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी ने जो प्रार्थना–पत्र 251 क (1) राजस्थान काश्त. अधिनियम के तहत पेश किया है वो विधिवत प्रारूप में पेश नहीं किया है जो चलने योग्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार सुजानगढ़ से बिन्दुवार रिपोर्ट ली गई जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने भू–अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा तक पहुंचने के लिए मौके पर कोई रास्ता नहीं है तथा प्रार्थना–पत्र में मांगा गया रास्ता ही उक्त खेत तक पंहुचने हेतु निकटतम रास्ता है। प्रार्थी के द्वारा मांगे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी प्रार्थी के खेत के आवगमन हेतु नहीं है।

उक्त रिपोर्ट पर अप्रार्थी की ओर से मौका निरीक्षण बाबत आपति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा किसी प्रकार की मौका जांच किये बिना तथा बिना अप्रार्थी को सूचना दिए झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रार्थी के आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इसलिए सुविधाजनक रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को खारिज किया जावे। जिसका जवाब प्रार्थी किशोर कुमार की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रस्तुत भू–अभिलेख निरीक्षक तथा हल्का पटवारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट सही एवं सत्य है। प्रार्थी के खेतों में आवागमन का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थना–पत्र मौका रिपोर्ट आपति हेतु अप्रार्थी ने कोई साक्ष्य दस्तावेज आदि भी प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त प्रार्थना–पत्र मौका निरीक्षण बाबत आपति प्रार्थना–पत्र पर बहस उभयपक्ष सुन कर खारिज कर दिया गया था जिसकी निगरानी अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़(चूरू)

भागीरथ द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में करने पर वाद सुनवाई पत्रावली इस न्यायालय में तहसीलदार द्वारा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत आपतियों पर विचार कर निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्राप्त होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से पुनः रिपोर्ट ली गई जिस पर तहसीलदार ने भू–अभिलेख निरीक्षक तथा हल्का पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 79 व 80 रोही ग्राम ठरड़ा में आवागमन हेतु कोई कटाणी रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के द्वारा मांग गया रास्ता ही निकटतम रास्ता है। प्रार्थी के द्वारा मांगा गया रास्ते के अलावा आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता ग्राम ठरड़ा के खसरा संख्या 530/326 में से पश्चिम सीमा से होते हुए खसरा संख्या 79 में प्रवेश करता है।

तहसीलदार सुजानगढ़ से पुनः प्राप्त मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी की ओर से पुनः प्रार्थना–पत्र मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर आपत्ति हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निगरानी उनवानी भागीरथ बनाम किशोर कुमार में निर्णय पारित करते हुए विचारण न्यायालय को निर्देशित किया कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट तलब कर उस पर पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें लेकिन तहसीलदार सुजानगढ़ से पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की वह अप्रार्थी को बिना सूचना दिए ही मनमर्जी से एकतरफा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की है। अतः प्रस्तुत रिपोर्ट माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की पालना में तैयार नहीं हुई है तथा एकतरफा रिपोर्ट होने के कारण खारिज योग्य है। उक्त प्रार्थना–पत्र का प्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब नहीं देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया जिस पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना–पत्र मौका निरीक्षण आपति स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई।

तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 79 व 80 रोही ठरड़ा में आवागमन का कोई रास्ता नहीं है ना ही कोई वैकल्पिक मार्ग है तथा प्रश्नगत मांगा गया रास्ता ही प्रार्थी के खेत में जाने हेतु निकटतम है।

रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषकगण प्रार्थना–पत्र 251 "क" राज. काश्त. अधि. सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में 3 बार मौका निरीक्षण किया गया है। तीनों बार एक ही रिपोर्ट आई है तथा रिपोर्ट में जो रास्ता बताया गया है उसी से आते रहे हैं। जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के तथ्यों को अस्वीकारते हुए कथन किया कि पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट एक तरफा होने से राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निरस्त कर दी गई है। पुनः भू–अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी अप्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 251 "क" राज. काश्त. अधिनियम के निर्धारित प्रारूप झ में नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में खसरा संख्या 326/75 से मांग की है जबकि पटवारी रिपोर्ट में अन्य कोई खसरा है जिसका खुलासा नहीं रहा है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी भारी कोस्ट के साथ खारिज किया जावे।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा रिपोर्ट तहसीलदार का भलीभांती अवलोकन किया गया। तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में 3 बार रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिनमें सभी में अंकित किया है कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 79 व 80 रोही ग्राम ठरड़ा के आवगमन

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता है और प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र में मांगा गया रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता है। अप्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया गया कि भू–अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट बिना अप्रार्थी को सूचित किये एकपक्षीय बाला–बाला तैयार की गई है कथन साबित नहीं होता है क्योंकि पटवारी हल्का द्वारा मौके पर तैयार फर्द मौका रिपोर्ट में स्पष्ट है कि अप्रार्थी को मौका निरीक्षण से पूर्व विधिवत नोटिस भेजकर मौका निरीक्षण के दिन उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था तथा अप्रार्थी उपस्थित भी हुआ लेकिन अप्रार्थी द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर / अंगूठा लगाने से इन्कार कर दिया गया। वकील अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया है कि पूर्व में तहसीलदार सुजानगढ़ से मंगवाई गई रिपोर्ट माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निरस्त कर दी गई है इसलिए वह रिपोर्ट पत्रावली पर सुनी नहीं जा सकती है चूंकि पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपनी निगरानी में न्यायालय को आदेशित किया है कि पक्षकारान की मौजूदगी में तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट तलब कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निस्तारण करें जिसकी पालना में पुनः तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष की मौजूदगी में रिपोर्ट तलब की जा चुकी है। प्रकरण न्यायालय में वर्ष 2019 से विचाराधीन है जबकि राजस्व ग्रुप–6 के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज–6/2003/104 दिनांक 19.09.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारियों को धारा 251–ए के लंबित प्रकरणों का निस्तारण आवश्यक रूप से 90 दिवस की अवधि में किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत रोही ग्राम ठरडा तहसील सुजानगढ़ के खसरा संख्या 79 व खसरा संख्या 80 तक आवागमन के लिए खसरा संख्या 530/326 वाके रोही ग्राम ठरडा में से 20 फीट चौड़ा रास्ता पश्चिम दिशा से मुताविक रिपोर्ट तहसीलदार दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थीगण उक्तानुसार रास्ते के रूप में आने वाली भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. की दर का दौगुणा राशि नियमानसुार राजकोष में जमा करवायें। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 26/03/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू

ओमप्रकाश शर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़